न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस

—134/2023

:—

1. जितेन्द्र पुत्र दोलतराम जाति जाट निवासी चिड़ीया गांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ राज.

वादी

बनाम

1. दोलतराम पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी चिड़ीया गांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ राज.
2. विक्रमसिंह पुत्र दोलतराम जाति जाट निवासी चिड़िया गांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ राज.
3. कविता कुमारी पुत्री दोलतराम जाति जाट निवासी चिड़िया गांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ राज.
4. राजस्थान सरकार तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ राज0

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :— श्री योगेश शर्मा वादी
राधेश्याम गोगामेड़ी प्रतिवादीगण

दिनांकः -09.10.23

निर्णय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 5 बारानी के खाता संख्या /35 के मु0न0 46, मु0न0 47, मु0न0 48, मु0न0 49, मु0न0 58, मु0न0 59, मु0न0 60, मु0न0 61 कुल 20.7840है0 में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/12 हिस्सा, इसी प्रकार चक 20 एएमएस के खाता ख्या 75/69 के मु0न0 7, मु0न0 8, मु0न0 9, मु0न0 15, मु0न0 16 की कुल 11.1320है0 में तेवादी संख्या 1 का 11917/333960 हिस्सा व इसी प्रकार 20 एएमएस के खाता संख्या 68/63 मु0न0 8 की कुल 3.5420है0 में प्रतिवादी संख्या 1 का 3163/35420 हिस्सा व इसी प्रकार चक 6 डीआर के खाता संख्या 59/59 के मु0न0 87, मु0न0 88 की कुल 3.4910है में प्रतिवादी संख्या 1 1 936/3491है0 खातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है व हिन्दू विधि से शासित है। वाद भूमि में वादी तथा प्रतिवादीगण का जन्म से हक अधिकार निहित है। इस प्रकार वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यही बिनाय मुखास्मत है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला-हनुमानगढ़

...पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।
...मेल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ने आपसी सहमति से राजीनामा
...जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली पर लिया गया।

...क्ष्य वादी में जितेन्द्र पुत्र दोलतराम के द्वारा साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में प्रस्तुत
...त जमाबंदी संवत 2077–2080 खाता संख्या 29/35 प्रदर्श 1, जमाबंदी चक 5 बारानी संवत
...दर्श 2, जमाबंदी 6 एसडीआर खाता संख्या 59/59 प्रदर्श 3, चक 6 एसडीआर संवत 2019
... जमाबंदी 20 एएमएस खाता संख्या 75/69 प्रदर्श–5 है, चक 20 अमरसिंह संवत 2019
...6 है। जमाबंदी चक 20 एएमएस खाता संख्या 68/63 प्रदर्श– 7 है। न्यायालय में तस्दीक
...मा प्रदर्श 8, संरपच सदस्य प्रमाण पत्र दिनांक 04/07/2023 प्रदर्श–9 , प्रतिवादी संख्या 2
...त्रियों के पक्ष में किया गया दानपत्र दिनांक 25.05.2023 प्रदर्श–10हैं व फोटोप्रति पत्रावली में पेश
...सल में मिलान की गई प्रदर्श 10 ए करवायें।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को
...ते हुए कथन किया कि रोही मौजा चक 5 बारानी के खाता संख्या 29/35 के मु0न0 46, मु0न0
...मु0न0 48, मु0न0 49, मु0न0 58, मु0न0 59, मु0न0 60, मु0न0 61 की कुल 20.7840है0 में
...वादी संख्या 1 का 1/12 हिस्सा, चक 20 एएमएस के खाता संख्या 75/69 के मु0न0 7, मु0न0
...मु0न0 9, मु0न0, मु0न0 15, मु0न0 16 की कुल 11.1320है0 में प्रतिवादी संख्या 1 का
...17/333960 हिस्सा व इसी प्रकार 20 एएमएस के खाता संख्या 68/63 के मु0न0 8 की कुल 3.
...0है0 में प्रतिवादी संख्या 1 का 3163/35420 हिस्सा, इसी प्रकार चक 6 एसडीआर के खाता
...या 59/59 के मु0न0 87, मु0न0 88 की कुल 3.4910है में प्रतिवादी संख्या 1 का 936/3491है0
...सा खातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त संपति सयुक्त परिवार की पैतृक सम्पति है जिसमें
...वादी दौलतराम के साथ–साथ पुत्र जितेन्द्र व विक्रम सिंह व पुत्री कविता का बहिस्सा हक बराबर
...ता है। चुंकि प्रतिवादी दोलतराम ने अपने हक हिस्सा में से एक दान पात्र अपने पुत्र विक्रन सिंह
...पुत्रीयों के पक्ष में कर दिया है इसलिए राजीनामा पेश कर प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने शेष रही वाद
...ने अपना हक हिस्सा अपने सगे भाई वादी जितेन्द्र के पक्ष में त्याग कर अपना हक हिस्सा शुन्य
...र लिया है। अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का
...यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद में वादी ने रोही मौजा चक 5 बारानी के खाता संख्या
...9/35 के मु0न0 46, मु0न0 47, मु0न0 48, मु0न0 49, मु0न0 58, मु0न0 59, मु0न0 60, मु0न0 61
...की कुल 20.7840है0 में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/12 हिस्सा, इसी प्रकार चक 20 एएमएस के खाता
...संख्या 75/69 के मु0न0 7, मु0न0 8, मु0न0 9, मु0न0, मु0न0 15, मु0न0 16 की कुल 11.1320है0 में
प्रतिवादी संख्या 1 का 11917/333960 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड है व इसी प्रकार 20 एएमएस के खाता
संख्या 68/63 के मु0न0 8 की कुल 3.5420है0 में प्रतिवादी संख्या 1 का 3163/35420 हिस्सा व
इसी प्रकार चक 6 एसडीआर के खाता संख्या 59/59 के मु0न0 87, मु0न0 88 की कुल 3.4910है में
प्रतिवादी संख्या 1 का 936/3491है0 खातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त संपति सयुक्त परिवार
की पैतृक सम्पति है जिसमें प्रतिवादी दौलतराम के साथ–साथ पुत्र जितेन्द्र, विक्रम सिंह व पुत्री
कविता का बहिस्सा हक बराबर बनता है। चुंकि प्रतिवादी संख्या 1 दोलतराम ने एक दान पात्र अपने
पुत्र विक्रम सिंह की पुत्रीयों के पक्ष में कर दिया इसलिए अब उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादी

...धिकारी (राजस्व)

दोलतराम का कोई हक हिस्सा नहीं रहा है। प्रतिवादी संख्या 2 विक्रमसिंह व प्रतिवादी पुत्री कविता ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा अपने सगे भाई वादी जितेन्द्र के पक्ष में त्याग कर हक हिस्सा शुन्य कर लिया है। अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादी डीक्री किये जाने योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही चक 5 बारानी के खाता संख्या 29/35 के मु0न0 46, मु0न0 47, मु0न0 48, मु0न0 49, मु0न0 59, मु0न0 60, मु0न0 61 की कुल 20.7840है0 में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/12 हिस्सा, प्रकार चक 20 एएमएस के खाता संख्या 75/69 के मु0न0 7, मु0न0 8, मु0न0 9, मु0न0, मु0न0 16 की कुल 11.1320है0 में प्रतिवादी संख्या 1 का 11917/333960 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड इसी प्रकार 20 एएमएस के खाता संख्या 68/63 के मु0न0 8 की कुल 3.5420है0 में प्रतिवादी 1 का 3163/35420 हिस्सा व इसी प्रकार चक 6 एसडीआर के खाता संख्या 59/59 के 87, मु0न0 88 की कुल 3.4910है में प्रतिवादी संख्या 1 का 936/3491है0 खातेदारी दर्ज ज रिकॉर्ड है **उसमें प्रतिवादी सं0 1 दोलतराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी जितेन्द्र को दार काश्तकार घोषित कि जाता है।** व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के न्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 09.10.23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में या गया।

(शंकुतला चौधरी)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व) R.A.S
भादरा (जिला हनुमानगढ़)
भादरा जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस

केस नं. – 134/2023

उनवान :–

1. जितेन्द्र पुत्र दोलतराम जाति जाट निवासी चिड़ीया गांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ राज.।

वादी

बनाम

1. दोलतराम पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी चिड़ीया गांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ राज.।
2. विक्रमसिंह पुत्र दोलतराम जाति जाट निवासी चिड़िया गांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ राज.।
3. कविता कुमारी पुत्री दोलतराम जाति जाट निवासी चिड़िया गांधी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ राज.।
4. राजस्थान सरकार तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ राज0।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री देवेश शर्मा व प्रतिवादी श्री राधेश्याम की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है रोही मौजा चक 5 बारानी के खाता संख्या 29/35 के मु0न0 46, मु0न0 47, मु0न0 48, मु0न0 49, मु0न0 58, मु0न0 59, मु0न0 60, मु0न0 61 की कुल 20.7840है0 में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/12 हिस्सा, इसी प्रकार चक 20 एएमएस के खाता संख्या 75/69 के मु0न0 7, मु0न0 8, मु0न0 9, मु0न0, मु0न0 15, मु0न0 16 की कुल 11.1320है0 में प्रतिवादी संख्या 1 का 11917/333960 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड है व इसी प्रकार 20 एएमएस के खाता संख्या 68/63 के मु0न0 8 की कुल 3.5420है0 में प्रतिवादी संख्या 1 का 3163/35420 हिस्सा व इसी प्रकार चक 6 एसडीआर के खाता संख्या 59/59 के मु0न0 87, मु0न0 88 की कुल 3.4910है में प्रतिवादी संख्या 1 का 936/3491है0 खातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है **उसमें प्रतिवादी सं0 1 दोलतराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी जितेन्द्र को खातेदार काश्तकार घोषित कि जाता है।** व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 09-10-23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

Scanned with OKEN Scanner